राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बांसवाडा (राज.)
e-mail: me.banswara@rajasthan.gov.in

क्रमांकः— ख.अ. / बांस / एस.आई.टी / नीलामी / 2025 / दिनांकः 07.05.2025

श्रीमान प्रबन्धक महोदय,
दैनिक नवज्योति बांसवाड़ा

विषयः— समाचार पत्र में नीलामी सूचना प्रकाशन कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बांसवाडा (राज.) द्वारा अनाधिकृत खनन / निगर्मन / भण्डारण में जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु बन्द नीलामी विज्ञप्ति निम्नानुसार आंमत्रित की जाती है।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बांसवाडा (राज.)
औधोगिक क्षेत्र पीपलवा, माही डेम रोड, बांसवाडा—327001
e-mail: me.banswara@rajasthan.gov.in

क्रमांकः— ख.अ. / बांस / एस.आई.टी / नीलामी / 2025 / दिनांक

नीलामी विज्ञप्ति

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बांसवाडा (राज.) द्वारा अनाधिकृत खनन / निगर्मन जब्त खनिज बजरी की बन्द नीलामी हेतु विज्ञप्ति निम्नानुसार आंमत्रित की जाती है।

न्यूनतम निविदा राशि :— 207500 / —
अमानत राशि :— 4150 / —
नीलामी कि तिथी :— 22.05.2025 समय प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक
नीलामी का स्थान :— कार्यालय खनि, अभियंता, बांसवाडा

क्र.सं.	स्थान नाम जहां जब्तशुदा खनिज बजरी पड़ी हुई है	खनिज बजरी की अनुमानित मात्रा
1	ग्राम मोटी बस्सी (अ. N23.31'28" द E74.02'29")	700 टन
2	ग्राम मोटी बस्सी (अ. N23.31'32" द E74.01'54")	40 टन
3	ग्राम कुवालिया (अ. N23.32'51" द E74.02'14")	90 टन

नोट :— नीलामी से संबंधित नियम एवं शर्तो की जानकारी कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है एवं विभागीय वेबसाईट https://mines.rajasthan.gov.in प्राप्त की जा सकती है।

खनि अभियंता,
बांसवाड़ा

कृपया उक्त नीलामी सूचना डीपीआर की अनुमोदित दरों पर न्युनतम साइज(10x10 cm) में **जिलास्तरीय संस्करण** में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

Esigned
(गौरव मीणा)
खनि अभियंता,
बांसवाड़ा

क्रमांकः— ख.अ. / बांस / एस.आई.टी. / नीलामी / 2025 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ प्रेषिति हैः—

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय खान एवं भू—विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बांसवाड़ा।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक खान उदयपुर जोन।
4. श्रीमान अधिक्षण खनि अभियंता उदयपुर—वृत उदयपुर।
5. श्रीमान कोषाधिकारी महोदय कोष कार्यालय बांसवाड़ा।

खनि अभियंता,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Meena
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.05.07 17:03:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15166022

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बांसवाडा (राज.)

क्रमांकः— ख.अ./बांस/स्टोर/नीलामी/2023/ दिनांक

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित कियया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा अनाधिकृत खनन निर्गमन की चैकिंग के दौरान एमएमडीआर एक्ट 1957 के तहत जब्त सरकार खनिज बजरी लगभग 830 टन अनुमानित है, को जहां है, जैसा है बेचान किये जाने हेतु बन्द नीलामी विज्ञप्ति निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

न्यूनतम निविदा राशि :— 207500/—

अमानत राशि :— 4150/—

नीलामी कि तिथी :— 22.05.2025 समय प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक

नीलामी का स्थान :— कार्यालय खनि, अभियंता, बांसवाडा

क्रं.सं.	स्थान नाम जहां जब्तशुदा खनिज बजरी पड़ी हुई है	खनिज बजरी की अनुमानित मात्रा
1	ग्राम मोटी बस्सी (अ. N23.31'28" द E74.02'29")	700 टन
2	ग्राम मोटी बस्सी (अ. N23.31'32" द E74.01'54")	40 टन
3	ग्राम कुवालिया (अ. N23.32'51" द E74.02'14")	90 टन

नोट :— नीलामी से संबंधित नियम एवं शर्तो की जानकारी कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है एवं विभागीय वेबसाईट https://mines.rajasthan.gov.in प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेंगी —

1. बंद नीलामी आयोजित की जा रही है। नीलामी **कार्यालय खनि अभियन्ता, बांसवाडा, पर दिनांक 27 मार्च, 2023 को आयोजित की जा रही है।**
2. उच्चतम बोलीदाता को साथ में उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कार्यालय खनि अभियन्ता बांसवाडा के नाम हो, संलग्न करना होगा।
3. उक्त बजरी की बोली पूर्व में निलामी में नहीं उठने से एकल बोलीदाता को भी सफल बोली दाता स्वीकार किया जा सकेगा।
4. बोलीदाता को इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि बोलीदाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
5. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण नीलामी करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित लोकेशन में की जा सकती है।
6. जप्तशुदा बजरी जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को सुपुर्द की जावेगी।
7. उच्चतम बोलीदाता को आदेश पत्र दिया जायेगा। आदेश प्राप्ति के 03 कार्यदिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 05 एवं अधिकतम 06 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
8. बोलीदाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. बोलीदाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यानामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निर्देशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
10. बोलीदाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
11. उच्चतम बोलीदाता को बोली राशि के अलावा जीएसटी/टेक्स अतिरिक्त जमा कराना होगाग।
12. खुली नीलामी में उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय करने कमेटी का होगा तथा बोली के संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
13. सफल उच्चतम बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता बांसवाडा द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी [illegible] खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं कि[illegible] जा[illegible]गा।
14. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 05 दिवस सहित अधिकतम 06 दिवस ही [illegible]त होगा।
15. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में [illegible]गीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Meena
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.05.07 17:03:57 IST
Reason: Approved

16. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता को Whats App पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
17. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची, क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
18. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारन/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
19. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहन को फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रयुक्त की जायेगी।
20. प्रत्येक स्टॉक को नियम समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
21. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
22. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
23. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।

Esigned
(गौरव मीणा)
खनि अभियन्ता बांसवाडा

क्रमांकः– ख.अ./बांस/स्टोर/नीलामी/2023/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रशित है –

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जिला बांसवाडा।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षण महोदय, जिला बांसवाडा।
3. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी डीएमजीओएमएस निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) महोदय, उदयपुर–जोन उदयपुर।
6. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता महोदय, उदयपुर–वृत, उदयपुर।
7. श्रीमान सहायक निदेशक महोदय, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय बांसवाडा।
8. सहायक लेखाधिकारी II , कार्यालय हाजा।

खनि अभियन्ता
बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Meena
Designation : Mining Engineer
Date: 2025.05.07 17:03:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15166022